



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15623

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 674/2026

सावित्री

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : रामेन्द्र कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता 2008 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होने का दावा करता है, वह सभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर न्यूनतम वेतनमान यानी 18,000/- रुपये का भुगतान चाहता है: सिविल अपील संख्या 10956 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुट्टी लाल (2002) खंड 2 यूपीएलबीईसी 1595.
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चौथे प्रत्यर्थी, प्रभागीय वन अधिकारी, अनूपशहर, वन प्रभाग अनूपशहर, जिला बुलंदशहर द्वारा किया जाएगा।
4. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 12.02.2026 तक चौथे प्रत्यर्थी, प्रभागीय प्रभागीय वन अधिकारी, अनूपशहर, वन प्रभाग अनूपशहर, जिला बुलंदशहर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, चौथा प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का फैसला करेगा।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)